फर्द अहकाम

कालम्बिनी बनाम कजोड़मल व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

संख्या 38/2024

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	24/01/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण व वादी स्वयं उपस्थित। स्वयं वादी व अधिवक्ता द्वारा अवसर चाहा गया है। अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही बाबत साक्ष्य वादी व बहस अंतिम दिनांक 29/01/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	[signature]
	29/01/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। वादी सा.1 स्वयं उपस्थित। मुख्य परीक्षण साक्ष्य शपथ पत्र लिया गया प्रदर्श अंकित किए गए। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 30/01/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	[signature]
	30/01/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश दिनांक 31/01/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
	31/01/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। अधिवक्ता वादीगण की बहस अंतिम के तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध [illegible] का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली [illegible] तथ्यों के समग्र विवेचन [illegible] होता है कि वादग्रस्त के अन्तर्गत अंकित भूमि (वादग्रस्त) आ.रा.नं. 1237/953, 1238/774, 950,	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.20 14:16:32 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

कादम्बिनी व अन्य बनाम v/s कजोडमल व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 38/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	31/01/25	956/1195 कुल खसरा किता 4 कुल रकबा 1.3400 हे. वादीगण की अभिलिखित खातेदारी की भूमि है। जिससे प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्रदर्श-1 (जमाबंदी संवत 2075-2078 खाता सं. 62 वाके ग्राम - घटवाड़ा) अनुसार प्रतिवादीगण/प्रत्युत्तर का कोई सम्बद्ध करोबार प्रदर्शित नहीं है। ना ही प्रतिवादीगण पक्ष द्वारा बावजूद प्रकरण की भली भाँति जानकारी व प्रकरण में उपस्थिति के प्रकरण/वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों का किसी भी मान्य अथवा औपचारिक स्तर पर कोई खंडन अथवा प्रतिरोध प्रस्तुत किया गया है। जबकि प्रस्तुत तथ्यों व प्रस्तुत रिकॉर्ड अनुसार वादीगण द्वारा भाग स्वयं की अभिलिखित खातेदारी की सुरक्षार्थ वादपत्र प्रस्तुत किया जाना प्रदर्शित होता है। अतः प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व तथ्यों के दृष्टिगत वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम घटवाड़ा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नं. 1237/953, 1238/774, 950, 956/1195 कुल खसरा किता-4 कुल रकबा 1.3400 हे. जो कि प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादीगण की अभिलिखित खातेदारी की भूमि है, की सीमाओं में किसी प्रकार की अविधिक/अनुचित हस्तक्षेप व मदाखलत ना करें तथा ना ही वादीगण को अपनी उक्त भूमि के उपयोग [illegible] करें। निर्णय आज दिनांक को सुनाया गया। तदनुसार [illegible] हो। [illegible] नम्बर [illegible] शुमार होकर दर्ज रजिस्टर हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.20 14:16:32 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय** जयपुर
इजलास **डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर, आर.ए.एस**

वाद संख्या : 38/2024 **निर्णय दिनांक : 31.01.2025**

1. कादमबीनी पत्नि घनश्याम सिंह राठौड, जाति राजपूत
निवासी प्लॉट नंबर सी–7, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क जयपुर।
2. घनश्याम सिंह राठौड पुत्र प्रभु सिंह, जाति राजपूत
निवासी प्लॉट नंबर सी–7, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क जयपुर।

वादी

बनाम

1. कजोड़ मल जाट पुत्र नाथू लाल जाट, जाति जाट
निवासी ग्राम घटवाडा, पोस्ट जाटावाली, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. बाबू लाल पुत्र कल्याण, जाति नाई
निवासी ग्राम घटवाडा, पोस्ट जाटावाली, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. रघुवीर सिंह चारण पुत्र बाबू सिंह चारण, जाति चारण
निवासी ग्राम घटवाडा, पोस्ट जाटावाली, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. बिहारी सिंह चारण पुत्र बाबू सिंह चारण, जाति चारण
निवासी ग्राम घटवाडा, पोस्ट जाटावाली, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. जगदीश सिंह चारण बाबू सिंह चारण, जाति चारण
निवासी ग्राम घटवाडा, पोस्ट जाटावाली, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय

वाद पत्र के अंतर्गत उल्लेखित भूमि (वादग्रस्त) भूमि आ.ख.नं. 1237/953, 1238/774, 950, 956/1195 कुल खसरा किता 4 कुल रकबा 1.3400 है. वादीगण की अभिलिखित एकल खातेदारिता की भूमि है। जिससे प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी संवत् 2075–2078 खाता सं 62 वाके ग्राम घटवाडा) अनुसार प्रतिवादीगण पक्षकारान का कोई संबंध सरोकार प्रदर्शित नहीं है, ना ही प्रतिवादीगण पक्ष द्वारा बावजूद प्रकरण की भली भाँति जानकारी व प्रकरण में उपस्थिति के प्रकरण/वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों का किसी भी मान्य अथवा औपचारिक स्तर कोई खंडन अथवा प्रतिरोध प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रस्तुत तथ्यों व प्रस्तुत रिकॉर्ड अनुसार वादीगण द्वारा मात्र स्वयं की अभिलिखित एकल खातेदारिता की सुरक्षार्थ वादपत्र प्रस्तुत किया जाना प्रदर्शित होता है। अतः प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व तथ्यों के दृष्टिगत वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आ.ख.नं. 1237/953, 1238/774, 950, 956/1195 कुल खसरा किता 4 कुल रकबा 1.3400 है. जो कि प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादीगण की अभिलिखित एकल खातेदारिता की भूमि है, की सीमाओं में किसी प्रकार की अविधिक/अनुचित हस्तक्षेप व मदाखलत ना करें तथा ना ही वादीगण को अपनी उक्त भूमि के उपयोग–उपभोग में बाधा कारित करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.01.2025 को जारी की गई।

दस्तखत
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
ओहदा ....मुख्यालय-जयपुर........

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायले	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.20 14:16:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर, आर.ए.एस.

वाद संख्या : 38/2024
निर्णय दिनांक : 31.01.2025

1. कादमबीनी पत्नि घनश्याम सिंह राठौड, जाति राजपूत
   निवासी प्लॉट नंबर सी–7, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क जयपुर।
2. घनश्याम सिंह राठौड पुत्र प्रभु सिंह, जाति राजपूत
   निवासी प्लॉट नंबर सी–7, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क जयपुर।

वादी

बनाम

1. कजोड़ मल जाट पुत्र नाथू लाल जाट, जाति जाट
   निवासी ग्राम घटवाडा, पोस्ट जाटावाली, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. बाबू लाल पुत्र कल्याण, जाति नाई
   निवासी ग्राम घटवाडा, पोस्ट जाटावाली, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. रघुवीर सिंह चारण पुत्र बाबू सिंह चारण, जाति चारण
   निवासी ग्राम घटवाडा, पोस्ट जाटावाली, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. बिहारी सिंह चारण पुत्र बाबू सिंह चारण, जाति चारण
   निवासी ग्राम घटवाडा, पोस्ट जाटावाली, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. जगदीश सिंह चारण बाबू सिंह चारण, जाति चारण
   निवासी ग्राम घटवाडा, पोस्ट जाटावाली, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय

वादीगण की ओर से वाके ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आ.ख.नं. 1237/953, 1238/774, 950, 956/1195 कुल खसरा किता 4 कुल रकबा 1.3400 है. के संदर्भ में हस्तगत वाद बाबत प्रतिवादीगण को वादीगण की उक्त उल्लेखित भूमि की सीमा में किसी भी प्रकार की अनुचित/अविधिक मदाखलत (तोड़–फोड़, निर्माण, हस्तक्षेप) ना करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने जाने के आशय का प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि उक्त उल्लेखित भूमि वादीगण की एकल खातेदारिता की भूमि है। जिस पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण की उक्त भूमि तारबंदी/बाउन्ड्रीवालशुदा भूमि है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है। फिर भी प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि में निरंतर अविधिक हस्तक्षेप करते है तथा वादीगण की भूमि में स्थित बाउण्ड्रीवाल व पिलरो को ध्वस्त कर वादीगण की भूमि में कब्जा/अतिक्रमण करने पर आमादा है। इसी क्रम में दिनांक 29.06.2024 को भी प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की भूमि में बाउन्ड्रीवाल के पिलरो को उखाडने की कोशिश की गई तथा वादीगण के विरोध करने पर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को धमकी दी गई। जिससे वादीगण को वाद कारण उत्पन्न होकर वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ है। अतः वाद वादीगण स्वीकार/डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण की उपरोक्त [illegible] खातेदारी भूमि पर निर्मित पुख्ता बाउण्ड्रीवाल/तारबंदी में किसी प्रकार की तोड़ फोड़ निर्माण कार्य व वादीगण की भूमि में निर्बाध उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करें।

वादीगण की ओर से अपने वाद के संदर्भ में ऑनलाईन प्रति जमाबंदी संवत 2075–2078 खाता सं 62 (प्रदर्श–1) वाके ग्राम घटवाडा तहसील आमेर प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.20 14:16:32 IST
Reason: SelfAttested

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को वादपत्र में वर्णित तथ्यों के संदर्भ में जवाब/अपना पक्ष विधिवत प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किए गए। जिसके क्रम में प्रतिवादीगण सं 1, 2 की ओर से दिनांक 25.07.2024 को उपस्थिति प्रस्तुत की गई तथा प्रतिवादीगण सं 3, 4, 5 की

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

ओर से बावजूद विधिवत सक्षम तामिल के न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की जाने पर प्रतिवादीगण सं 3, 4, 5 के विरूद्ध दिनांक 25.10.2024 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। उक्त प्रतिवादीगण की ओर से जवाब वादपत्र भी न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। अग्रिम कार्यवाही के अंतर्गत प्रतिवादीगण सं 1 व 2 की ओर से उपस्थिति दिनांक 22.07.2024 के क्रम में निरन्तर अवसर उपरान्त भी वकालतनामा व जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया जाने पर दिनांक 25.11.2024 को प्रतिवादीगण सं 1 व 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। इस प्रकार प्रकरण में किसी भी प्रतिवादी पक्षकार द्वारा बावजूद सूचना / जानकारी के प्रकरण का किसी भी स्तर पर तथा किसी भी रूप में कोई मान्य / औपचारिक खंडन प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही के रूप में वादी सं 2 की ओर से दिनांक 17.01.2025 को साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके क्रम में साक्ष्य शपथ पत्र का मुख्य परीक्षण दिनांक 29.01.2025 को किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई तथा उक्त अनुसरण में वादीगण अधिवक्ता की बहस अंतिम सुनी गई।

हमने वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वाद पत्र के अंतर्गत उल्लेखित भूमि (वादग्रस्त) आ.ख.नं. 1237 / 953, 1238 / 774, 950, 956 / 1195 कुल खसरा किता 4 कुल रकबा 1.3400 है. वादीगण की अभिलिखित एकल खातेदारिता की भूमि है। जिससे प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड (प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2075—2078 खाता सं 62 वाके ग्राम घटवाडा) अनुसार प्रतिवादीगण पक्षकारान का कोई संबंध सरोकार प्रदर्शित नहीं है ना ही प्रतिवादीगण पक्ष द्वारा बावजूद प्रकरण की भली भाँति जानकारी व प्रकरण में उपस्थिति के प्रकरण / वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों का किसी भी मान्य अथवा औपचारिक स्तर कोई खंडन अथवा प्रतिरोध प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रस्तुत तथ्यों व प्रस्तुत रिकॉर्ड अनुसार वादीगण द्वारा मात्र स्वयं की अभिलिखित एकल खातेदारिता की सुरक्षार्थ वादपत्र प्रस्तुत किया जाना प्रदर्शित होता है। अतः प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व तथ्यों के दृष्टिगत वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आ.ख. नं. 1237 / 953, 1238 / 774, 950, 956 / 1195 कुल खसरा किता 4 कुल रकबा 1.3400 है. जो कि प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादीगण की अभिलिखित एकल खातेदारिता की भूमि है, की सीमाओं में किसी प्रकार की अविधिक / अनुचित हस्तक्षेप व मदाखलत ना करें तथा ना ही वादीगण को अपनी उक्त भूमि के उपयोग—उपभोग में बाधा कारित करें।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.20 14:16:32 IST
Reason: SelfAttested